

कार्यालय परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0 खूँटी

अतिअल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 01 वर्ष 2015-16

1. विभाग का नाम :- कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार रांची।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि/समय :- दिनांक 04.03.2016 से 08.03.2016
कार्यालय दिवस में 4.00 बजे अपराह्न तक।
3. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी।
4. निविदा प्राप्त करने की तिथि/समय :- 09.03.2016 (3.00 बजे अपराह्न तक)
5. निविदा खोलने की तिथि/समय :- 09.03.2016 (3.30 बजे अपराह्न)
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :- आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, खूँटी।

7. कार्यो की विस्तृत विवरणी

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	कर्का प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम तिग्गा में क्लब से पुराना अखरा कुल्हू तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	2,68,000/-	5,400/-	750/-	सात दिन

8. पी0डब्लु0डी0, पथ निर्माण विभाग/डी0आर0डी0ए0 खूँटी में योग्य निबंधित संवेदक ही निविदा देने हेतु सक्षम होंगे।
9. स्वीकृत प्राक्कलन में उक्त वर्णित कार्यो की मात्रा/राशि घट-बढ़ सकती है। तदनु रूप ही अग्रधन की राशि जमा करना होगा, तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. अग्रधन की राशि परिमाण विपत्र में अंकित कार्य की राशि के दो प्रतिशत के समानुपातिक होगी।
11. भारत सरकार/राज्य सरकार के निगम/उपक्रम निविदा दे सकते हैं, उन्हें कल्याण विभाग के प्रावधान के अनुसार ही अग्रधन में छूट अनुमान्य होगा।
12. अग्रधन की राशि परिमाण विपत्र में अंकित राशि का 2% (दो प्रतिशत) जो एक सौ गुणक में होगा एवं विधिवत् अधोहस्ताक्षरी के नाम से प्रतिज्ञित होगा। राष्ट्रीय बचत पत्र का आठवां निर्गम, तीन वर्षीय/पांच वर्षीय डाकघर सावधि जमा पास बुक के रूप में, फार्म एवं कॉरपोरेशन के लिये अनुसूचित बैंकों के निर्गत डिपोजिट एवं कॉल रीसिट (बैंक गारंटी) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक -04-96-200 (खंड) 295 दिनांक 24.1.2002 द्वारा निर्धारित शर्तों के अर्न्तगत निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। एकरारनामा के समय 3% (तीन प्रतिशत) प्रारम्भिक जमानत की राशि, अग्रधन की 2% (दो प्रतिशत) राशि, कुल मिलाकर 5% (पांच प्रतिशत) होगा एवं 5% (पांच प्रतिशत) चलता लेखा विपत्रों से अन्य सभी शर्तों के साथ काटी जायेगी। झारखण्ड राज्य के बाहर के पोस्ट ऑफिस एवं बैंक से निर्गत एन0एस0सी0/सवाधि जमा/पास बुक/डिपोजिट एट कॉल रीसिट आदि मान्य नहीं होगा।
13. निविदा के साथ पैन नम्बर, बिक्री कर सफाया प्रमाण पत्र, श्रम निबंधन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, निबंधन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
14. कार्य एवं कार्यस्थल की परिस्थिति से पूर्णतः अवगत होकर ही निविदा दें, क्योंकि इससे संबंधित कोई दावा मान्य नहीं होगा।
15. परिमाण विपत्र में संलग्न इस सूचना का अभिन्न अंग होगा, जो संवेदक को मान्य होगा।
16. कार्य के लिये आवश्यक, उपकरणों की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करनी होगी।
17. परिमाण विपत्र में अंकित किये जाने वाला निविदा दर आदि प्राक्कलित राशि से दस प्रतिशत से अधिक कम होगा तो निविदा अमान्य होगा।

18. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जाएगा।
19. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द करने अथवा एक से अधिक संवेदकों में कार्य आवंटित करने का पूर्ण अधिकार परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी को सुरक्षित होगा।
20. सशर्त एवं अस्पष्ट निविदा अमान्य होगा।
21. संवेदकों को निबंधन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं परिमाण विपत्र का मूल्य परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी के पदनाम से स्टेट बैंक शाखा, खूँटी में भुगतान बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर ही परिमाण-विपत्र निर्गत किया जायेगा। परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा।
22. स्थानीय मजदूरों से कार्य लिया जाना अनिवार्य होगा। मजदूरों को सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
23. निविदा के संबंध में झारखण्ड सरकार या कल्याण विभाग, रांची द्वारा निर्गत सभी अद्यतन परिपत्र लागू होगा।
24. यदि किसी कारणवश निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित होगा, तो अगले कार्य दिवस को नियत समय पर निविदा की कार्रवाई की जायेगी।
25. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं खूँटी जिला के Website पर सम्पर्क किया जा सकता है।
26. कार्य स्थल तक सामग्रियों की ढुलाई आदि के लिए पहुँच पथ बनाने का दावा मान्य नहीं होगा।
27. प्राक्कलन में दिये गये ढुलाई के लिए लीड में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
28. बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का पूर्ण अधिकार परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी को सुरक्षित रहेगा।
29. जैसे संवेदक ही निविदा की प्रक्रिया में भाग लेंगे जो एकरारनामा के पश्चात् सात दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकेंगे।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, खूँटी।